



Neutral Citation No. 2026:AHC:14221

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- – 168 / 2026

पन्ना लाल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

राम सजीवन प्रजापति

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी मुख्य स्थाई

अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तिवारी और श्री संजय कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा पत्रावली पर लिया गया।
2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम सजीवन प्रजापति प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तिवारी एवं श्री संजय कुमार उपाध्याय राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल तथा प्रत्यर्थीगाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट या आदेश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2/सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद उ० प्र० लखनऊ द्वारा मुकदमा संख्या टीए /2004 /2025 कम्प्यूटराइज्ड मुकदमा संख्या आर20251436002004 (पन्ना लाल बनाम श्री राम अच्छैवर चौहान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर में दिनांक 4.12.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए यह आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 212 के तहत पारित किया गया था जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 212 के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन को राजस्व परिषद ने एक गलत आधार पर खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि स्थानांतरण आवेदन में किए गए कथनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (1) के तहत लंबित कार्यवाही को संबंधित न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) के तहत चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और इस प्रकार वह केवल किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) के तहत चल रही कार्यवाही को लंबा खींचने में ही रुचि रखता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिक्री विलेख को कानून के अनुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद दर्जशुदा भूमिधारक श्याम लाल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 के पक्ष में निष्पादित किया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के तहत चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन को विवादित आदेश के तहत बिल्कुल सही तरीके से खारिज किया गया है।
6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
7. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन को राजस्व परिषद द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर जिनके समक्ष कार्यवाही लंबित है से आख्या मंगाने के बाद विवादित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है।
8. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित न्यायालय जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था का स्थानांतरण हो चुका है अतः स्थानांतरण आवेदन में उठाया गया आधार अब समाप्त हो गया है।
9. स्थानांतरण आवेदन में किए गए कथनों के साथ साथ राजस्व परिषद द्वारा पारित विवादित आदेश पर विचार करते हुए राजस्व परिषद द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
10. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
11. तदनुसार रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

20 जनवरी 2026

रमीज़